

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
केम्प इन्दौर (म0प्र0)

माहिजलेश्वर शर्मा
मी. कुंभार/का. मा. श. इ. २१।
२५-१०-१७ का
प्रगत दिना
२५-१०-१७

PBR/गिगरानी/धार/भू.रा/२०१७/५०२५

- 1 कौलाश पिता हुकमा, जाति बलाई,
निवासी गोविन्द नगर, खारचा, सावेर रोड,
इन्दौर, जिला इन्दौर
- 2 नंदराम पिता हुकमा, जाति बलाई,
निवासी ग्राम बिजुर, तह. धार
- 3 शंकर पिता हुकमा, जाति बलाई,
निवासी बजरंगपुरा, इन्दौर
- 4 रामकिशन पिता हुकमा, जाति बलाई,
निवासी गोविन्द नगर, खारचा, सावेर रोड,
इन्दौर, जिला इन्दौर
- 5 सकुबाई पति हुकमा, जाति बलाई,
निवासी ग्राम बिजुर, तह. धार

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1 आत्माराम पिता तोल्या, जाति बलाई,
- 2 शौभाराम पिता तोल्या, जाति बलाई,
दोनों निवासी ग्राम नारायणपुरा, तह0 धार
- 3 पुजा पिता बुदिया, जाति बलाई,
- 4 जगदीश पिता बुदिया, जाति बलाई,
दोनों निवासी 191, बापु गांधी नगर, देवास नाका, गली नम्बर 1,
इन्दौर जिला इन्दौर

.....विपक्षीगण

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता

महोदय,


विपक्षी क्रमांक 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, धार के न्यायालय में नायब तहसीलदार महोदय धार के प्रकरण क्रमांक 26/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30/01/2016 के विरुद्ध 319 दिनों

(Handwritten signature)


25.10.2017


प्रस्तुतकार

आवेदकगण की ओर से श्री आरकेश शर्मा अभिभाषक उपाक्षित ! ग्राह्यता पर बुना गया। उनका तर्क है कि ~~तथा~~ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा


AKHILESH SHARMA
ADU.

अर्थात् विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर बोलता हुआ आदेश पालि नहीं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश त्तिंक 16.10.2017 की लत्र प्रतिक्रिया का अवकाश किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बोलता हुआ संकारण आदेश पालि नहीं किया गया है। अतः आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उगय पत्र को सुनकर अर्थात् विधान की धारा 5 पर बोलता हुआ आदेश पालि करें।




अपक्ष